

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 104 / 12

संस्थापन दिनांक:-24 / 02 / 12

फाईलिंग नं. 233504001152012

कविता पति कृष्णराव, (दिनांक 29.04.2016 को फौत घोषित)

निवासी चिखली, थाना मुलताई जिला बैतूल

हाल निवासी लालावाड़ी,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... **परिवादी**

वि रु द्ध

1. कृष्णराव पिता उमराव, उम्र 35 वर्ष
2. सुरेश पिता उमराव, उम्र 38 वर्ष
3. गीता पति सुरेश, उम्र 30 वर्ष
4. शांता पति उमराव, उम्र 60 वर्ष
क. 1 से 4 निवासी चिखली,
थाना मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)
5. ललीता पति धनराज, उम्र 45 वर्ष
6. धनराज पिता नामालूम, उम्र 50 वर्ष
क. 5 एवं 6 निवासी सेन्द्रल रेल्वे स्टेशन,
भरतवाड़ा (महाराष्ट्र)
7. बिन्दु पिता गुलाबराव, उम्र 25 वर्ष
8. बाया पति गुलाबराव, उम्र 55 वर्ष
9. देवराव पिता गुलाबराव, उम्र 27 वर्ष
क. 7 से 9 निवासी छावल,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
10. ललीता पति लक्ष्मणराव, उम्र 35 वर्ष,
11. लक्ष्मण पिता सखाराम वागद्रे, उम्र 40 वर्ष
क. 10 एवं 11 निवासी लालावाड़ी,
थाना आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
12. तोताराम दवण्डे पिता गंगाराम, उम्र 54 वर्ष
निवासी चिखली, थाना मुलताई,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :—

(आज दिनांक 12.05.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.05.2004 से दिनांक 29.07.2011 तक थाना मुलताई स्थित ग्राम चिखली में फरियादी कविता के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादी के साथ 50,000/- दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की तथा फरियादी कविता से अवैध रूप से दहेज में 50,000/- रुपये की मांग की। अभियुक्त कृष्णराव के विरुद्ध धारा 494 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय का भी आरोप है कि उसने फरियादी कविता जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी उसके जीवनकाल में दूसरा विवाह किया।

2 परिवार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त कृष्णराव से दिनांक 08.05.2004 को हिंदू जाति रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह पश्चात से ही फरियादी को अभियुक्तगण द्वारा दहेज के संबंध में उपेक्षित व्यवहार कर मारना, पीटना, खाने को न देना आदि यातनाएँ निरंतर दी जाने लगी। अभियुक्तगण की प्रताड़ना के कारण शादी के दो साल बाद ही फरियादी हृदय रोग से पीड़ित होकर बीमार हो गयी। अभियुक्तगण उसका ईलाज भी नहीं करवाते थे। अभियुक्तगण फरियादी के साथ आये दिन जान से मारने की धमकी एवं गाली गलौच व मारपीट करते थे। जब फरियादी को अभियुक्तगण द्वारा अत्यधिक प्रताड़ना दी जाने लगी तब उसके पिता ने 50,000/- रुपये अभियुक्तगण को नगद दिये ताकि अभियुक्तगण के व्यवहार में परिवर्तन आ जाये परंतु अभियुक्तगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे फरियादी को दहेज की मांग को लेकर अत्यधिक प्रताड़ना देने लगे। अक्टूबर 2009 में अभियुक्तगण ने फरियादी को मारपीट कर सभी जेवरात छुड़ा कर घर से निकाल दिया। फरियादी के पिता व अन्य रिश्तेदारों द्वारा अभियुक्तगण को समझाईश भी दी गयी परंतु वे नहीं माने। अभियुक्तगण ने फरियादी को उसके पिता के घर से जमीन बेच कर पैसे लाने को कहा और घर में रखने से मना कर उसे मारपीट कर भगा दिया, तब से फरियादी अपने माता पिता के यहां रह रही है। दिसम्बर 2010 तक फरियादी का पति लालावाड़ी आते जाते रहा परंतु ईलाज आदि की कोई व्यवस्था नहीं किया और दहेज की मांग करता रहा तथा दूसरी शादी करने व तलाक देने की धमकी देता रहा। उसके पति अभियुक्त कृष्णराव ने शेष अभियुक्तगण के सहयोग से जून 2011 में अभियुक्त बिंदु से दूसरा विवाह कर लिया, जिसकी शिकायत भी फरियादी ने दिनांक 11.07.2011 को थाना आमला में की थी। अतः यह परिवार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 498-ए, 494 सह पठित धारा 200 भा.दं.सं. के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध

किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 08.05.2004 से दिनांक 29.07.2011 तक थाना मुलताई स्थित ग्राम चिखली में फरियादी कविता के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादी के साथ 50,000/- दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त समयावधि में फरियादी कविता से अवैध रूप से दहेज में 50,000/- रुपये की मांग की।
3. क्या अभियुक्त कृष्णराव ने फरियादी कविता जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी उसके जीवनकाल में दूसरा विवाह किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

5 मीराबाई (अ.सा.-1) एवं अजाबराव (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी कविता उनकी बेटी थी। फरियादी की शादी चिखली में रीति रिवाज से हुई थी। विवाह के बाद से ही उनकी बेटी की तबीयत खराब रहती थी और ससुराल वाले ईलाज नहीं कराते थे जिस कारण से उनकी बेटी की मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्तगण दहेज के लिए भी उनकी बेटी को परेशान करते थे और बेटी के ईलाज के लिए कहते थे कि खेत बेचकर पैसा लगा दो। अभियुक्तगण पचास हजार रुपये की मांग करते थे।

6 किसन (अ.सा.-3) एवं अंजनी (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त कृष्णराव को जानते हैं। अन्य अभियुक्तगण को नहीं पहचानते हैं। फरियादी कविता को साक्षीगण ने पहचानना बताया है परंतु घटना के बारे में कोई भी जानकारी न होना अपने परीक्षण में बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर

साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन नहीं किये हैं। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

7 मीराबाई (अ.सा.-1) एवं अजाबराव (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग की जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि उनकी लड़की की बीमारी से मृत्यु हो गयी, इस बात की उन्हें नाराजगी है। अभियुक्तगण से दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं था। उन्होंने या परिवार के अन्य किसी व्यक्ति ने अभियुक्त कृष्णराव को दूसरा विवाह करते हुए नहीं देखा। अभियुक्त कृष्णराव ने उनके समक्ष दूसरा विवाह नहीं किया। दूसरे लोगों से जानकारी प्राप्त हुई। यदि उनकी लड़की बीमारी से नहीं मरती तो वे अभियुक्तगण के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते।

8 अभियोजन/परिवादी की ओर से ऐसे भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि फरियादी के साथ मारपीट की कोई शिकायत करायी गयी हो या चोट का इलाज कराया गया हो। फरियादी की मां मीराबाई (अ.सा.-1) एवं पिता अजाबराव (अ.सा.-2) के द्वारा न तो यह बताया गया है कि अभियुक्तगण ने किस दिन उनसे दहेज की मांग की, कितने रूपयों की मांग की। अभिलेख पर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं हैं जिससे की यह प्रकट हो कि फरियादी कविता के माता पिता के द्वारा यह स्वयं फरियादी कविता के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा उसकी मारपीट किये जाने के संबंध में कोई शिकायत की गयी हो। साथ ही साक्षीगण ने अपने कथनों में अभियुक्तगण के विरुद्ध संयुक्त कथन किये हैं। पृथक-पृथक उनके द्वारा किये गये कृत्य को नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण ने उससे दहेज की मांग की और दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

9 कविता ने अपने परिवाद पत्र में यह बताया है कि उसके पति अभियुक्त कृष्णराव ने उससे विधिवत तलाक लिये बिना दूसरा विवाह कर लिया है और जिसमें अन्य अभियुक्तगण ने सहयोग किया, परंतु इस संबंध में भी परिवादी/अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्त कृष्णराव के द्वारा विधिवत रीति रिवाजों के अनुसार किसी अन्य महिला से दूसरा विवाह कर लिया गया हो। साथ ही ऐसे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है जो कि यह बताये कि अभियुक्त कृष्णराव ने हिंदू रीति रिवाज से किसी अन्य महिला से दूसरा विवाह कर लिया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **घोष विरुद्ध घोष ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1153** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन पुनः विवाह किया जाना तभी अपराध होगा जब वह आवश्यक धार्मिक रीति जैसे होम, हवन, सप्तपदी आदि के साथ विधि पूर्वक संपन्न किया गया हो। एक अन्य न्याय दृष्टांत **श्याम सुंदर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**

1991 सप्ली(1) एस.सी.सी. 382 अवलोकनीय है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन तभी दोषी होगा जब वह अपने प्रथम विवाह के कायम रहते हुए भी आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पुनः विवाह कर लेता है। अभियुक्त द्वारा पुनः विवाह के तथ्य को स्वीकार कर लिया जाना भी द्विविवाह के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त कृष्णराव ने प्रथम विवाह के कायम रहते हुए विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अपनी धार्मिक रीति रिवाज के अनुरूप दूसरा विवाह किया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण फरियादी कविता के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादी के साथ 50,000/- दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की एवं फरियादी कविता से अवैध रूप से दहेज में 50,000/- रुपये की मांग की तथा अभियुक्त कृष्णराव ने फरियादी कविता जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी उसके जीवनकाल में दूसरा विवाह किया। निष्कर्षतः अभियुक्तगण सुरेश, गीता, शांता, ललिता, धनराज, बिंदु, बाया, देवराव, ललिता, लक्ष्मण, तोताराम को धारा 498-ए भा.दं.सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्त कृष्णराव को 498-ए, 494 भा.दं.सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

